उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 80/2021/1501076/12-2099/197/2021
लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-आदेश

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रदर्शन और बीज वर्धन प्रक्षेत्र (जिला योजना)-मानक मद-26-मशीनें, सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र' मद में प्राविधानित धनराशि रू. 100.00 लाख के सापेक्ष रू. 40.00 लाख (चालिस लाख रूपये मात्र) व्यय हेतु की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइड-लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।।

(5) स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व होगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य के लिए पूर्व में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और, न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा, किसी प्रकार की द्विरावृत्ति हो रही है ।

(8) निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।।

(9) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वितीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रदर्शन और बीज वर्धन प्रक्षेत्र (जिला योजना)-मानक मद-26-मशीनें, सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र' के नामें डाला जाएगा।

3. यह आदेश प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर, वित्त विभाग की प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 80/2021/1501076(1)/12-2099/197/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: एस0एफ0-1181-टी/4401-बजट-142/2021-22 दिनॉक 03 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. शासनादेश.यूपी.जीओवी.इन पर अपलोड किए जाने हेतु,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in